eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

भारतीय संविधान एवं भारत में महिला अधिकार संरक्षण

डॉ (श्रीमती) सुदीपमाला[1]
[1]असि0 प्रोफेसर – इतिहास, राजकीय महावि0 गौण्डा, अलीगढ़

Received: 15 April 2025 Accepted & Reviewed: 25 April 2025, Published: 30 April 2025

Abstract

भारतीय संविधान सामाजिक न्याय और समता के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें महिलाओं को विशेष अधिकार एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, और गरिमा का जीवन सुनिश्चित करने के लिए कई संवैधानिक उपबंधों और विधिक उपायों की व्यवस्था की गई है। यह शोध पत्र संविधान में निहित महिला अधिकारों की व्याख्या करते हुए भारत में उनके संरक्षण की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है। साथ ही, इसमें कानूनी प्रावधानों, न्यायिक दृष्टिकोण और सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को रेखांकित किया गया है। यह अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि संवैधानिक रूप से महिलाओं को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, परंतु व्यावहारिक स्तर पर उनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं।

कीवर्ड – भारतीय संविधान, महिला अधिकार, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, विधिक संरक्षण, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय

Introduction

किसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को किसी समय विषेष में जो स्थान प्राप्त होता है; उसे उस व्यक्ति की प्रस्थिति कहते हैं। इस प्रकार प्रस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा विषेष प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। भूमिका; प्रस्थिति का वह कार्य है अथवा व्यवहारगत वह पहलू है जिसके निर्माणक तत्व (1) व्यक्ति की आषाएं (2) इन आषाओं के अनुरूप की जाने वाली बाहरी क्रियाएं हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संस्कृति के इतिहास में स्त्रियों की स्थिति एक लम्बे समय से विवाद की विषय रही है। भारत में उत्तर–वैदिक काल से उन्नीसवीं षताब्दी तक स्त्रियों की स्थिति में निरन्तर ह्रास होता रहा है। समाज की अनेक कुरीतियॉ जैसे बाल–विवाह, पर्दा प्रथा, पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, दहेज प्रथा, बालिका बध, अषिक्षा, बहु विवाह प्रथा आदि निरन्तर स्त्रियों की स्थिति निम्नतर करने में सक्रिय योगदान देती रहीं हैं। सर्वप्रथम ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 1813 में ब्रिटिष पार्लियामेण्ट ने आदेष दिया कि वह सभी वर्गों में षिक्षा का प्रचार–प्रसार करे। परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने स्त्री–षिक्षा को भारतीय मनोवृत्तियों के विरूद्ध कहकर इसे कोई महत्व नहीं दिया। इसके पष्चात् अनेक प्रगतिषील भारतीय पुरूषों ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने का उत्तरदायित्व संभाला। नवयुग के उद्घोषक एवं राष्ट्रीय पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन राय (1772–1833) ने बंगाल में स्त्रियों की समस्याओं को भली भांति समझने का प्रयास किया तथा उनके निराकरण की दिषा में ठोस कदम उठाया। इन्होंने 1828 में 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की। इनकी पुस्तक **'ट्रीटाइज ऑन सती'** में उल्लेखनीय है कि इन्होंने 1811 से 1828 के बीच सती प्रथा के विरूद्ध सषक्त आन्दोलन किया। परिणामस्वरूप 1829 में सती

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

प्रथा को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ईष्वरचन्द्र विद्यासागर (1820) ने बंगाल में **'विधवा पुनर्विवाह'** को प्रोत्साहित किया। इनकी पुस्तक **'मैरेज आफ हिन्दू विडोज'** ने उन दिनों पर्याप्त ख्याति प्राप्त की। यह इनके ही प्रयत्नों का परिणाम था कि 1856 में **'विधवा पुनर्विवाह अधिनियम'** पारित हो सका। **स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824)** ने हिन्दू धर्म की रूढ़िवादिता की कटु आलोचना की। इन्होंने 1875 में बम्बई में 'आर्य समाज' की स्थापना की तथा हिन्दू समाज को वैदिक आदर्षों की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। **राय सालिग्राम बहादुर (1829)** ने स्त्रियों की दयनीय दषा से द्रवित होकर एक पाक्षिक पत्रिका प्रकाषित की और स्त्रियों की मुक्ति का पूरा प्रयत्न किया। स्त्रियों की षिक्षा पर इन्होंने पर्याप्त बल दिया। **केषव चन्द्र सेन (1838)** 'ब्रह्म समाज' के तीसरे प्रवर्तक थे। इन्होंने कुलीन व्यवस्था की घोर आलोचना की। सेन ने 1863 में स्त्रियों की षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **'सोसाइटी आफ थीयेस्टिक फ्रेण्डस'** नामक संस्था खोली।

समाज में चली आ रही अनेक कुरीतियॉ जैसे बहु पत्नी विवाह, बाल विवाह आदि का विरोध किया। इनके प्रयत्नों का प्रतिफल हुआ कि **'सिविल विवाह विधेयक'** पारित हो सका। **बहराम जी मालाबारी (1857)** ने **बाल विवाह का विरोध** किया और **विधवा पुनर्विवाह** को प्रोत्साहित किया। **केषव कर्वे (1858)** ने पूना में स्वयं एक तेईस वर्शीय विधवा स्त्री से विवाह किया तथा इसी वर्श इन्होंने पूना में **विधवा पुनर्विवाह संगठन** का आयोजन किया। इन्होंने बड़े धैर्य से स्त्रियों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया। समाज सुधारक **रवीन्द्रनाथ टैगोर** सन् 1885 में ब्रह्म समाज के सचिव निर्वाचित हुए एवं 1901 में एक षिक्षा संस्थानः **षान्ति निकेतन** की स्थापना की।

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने स्त्रियों को पुरूशों के समान ही अधिकार दिलाने का प्रयत्न किया। ''सन् 1916 में **महामना मदनमोहन मालवीय** ने विष्वविख्यात षिक्षण संस्था **काषी हिन्दू विष्वविद्यालय वाराणसी** की स्थापना की, जहां उन्होंने स्त्री षिक्षा के व्यापक महत्व को देखते हुए एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की और पुरूशों में स्त्रियोचित और स्त्रियों में पुरूशोचित गुणों के विकास हेतु सह षिक्षा पर विषेश बल दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर भी बल दिया तथा बाल विवाह और दहेज प्रथा का घोर विरोध किया।'' सन् 1897 में **रामकृश्ण मिषन** की स्थापना की। विवेकानन्द ने स्त्रियों को षिक्षा दिलाकर उन्हें उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया। **वेंकेटारतनम् नायडू** ने व्यक्तिगत रूप से मद्रास में स्त्री सुधार का कार्यक्रम चलाया।

गोपाल कृष्ण गोखले (1866) ''स्त्री षिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नषील रहे। उन्हें आभास हुआ कि जब तक स्त्रियॉ षिक्षित नहीं हो जातीं, तब तक उनका किसी प्रकार का भी विकास सम्भव नहीं है।'' गांधीजी (1869–1948) ने ''सर्वप्रथम संगठित आधार पर स्त्रियों के अधिकारों के औचित्य को स्पष्ट किया। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी सुधार कार्य को अपने राष्ट्रीय आन्दोलन का एक प्रमुख अंग बना लिया। गांधीजी ने बाल विवाह का विरोध किया।'' विधवा विवाह का कारण उन्होंने बाल विवाह को ही माना। ''उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया।'' ''पर्दा प्रथा का विरोध किया तथा दहेज प्रथा पर नियन्त्रण करने का पूरा प्रयत्न किया।'' अपनी पत्रिका 'हरिजन' एवं 'यंग इंडिया' द्वारा स्त्रियों को मुक्ति दिलाने का सराहनीय कार्य किया। उन्होंने देवदासी एवं वैष्यावृत्ति जैसी कुप्रथाओं का भयंकर विरोध किया। उन्होंने पुरूशों को ही स्त्रियों की निम्न स्थिति के लिए दोषी ठहराया। मई 1917 में भारतीय महिला संगठन की स्थापना हुई जिसमें महिला आन्दोलन के अब तक के इतिहास में सर्वप्रथम नये उद्देष्यों को ध्यान में रखा गया।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

नवीन विधानों तथा संषोधित अधिनियमों द्वारा **स्त्रियों की पारिवारिक दषाओं में सुधार लाने वाले प्रभावों के अन्तर्गतः** स्त्रियों को पुरूषों के समान सम्पत्ति के अधिकार मिलने से परिवार में उनकी स्थिति अधिक सम्मानपूर्ण हुई है।, हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरणपोषण अधिनियम के कारण स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक षोषण तथा उत्पीड़न कम हुआ है, स्त्रियों के प्रति पुरूषों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन होने से पारिवारिक जीवन तुलनात्मक अधिक स्वस्थ हुआ है, वैवाहिक कुप्रथाओं में कमी से स्त्रियों पर अत्याचारों व षोषण में कमी के साथ–साथ नवीन विधानों ने स्त्रियों में एक नई जागरूकता पैदा की है; स्त्री पुरूषों के मध्य समताकारी सम्बन्ध विकसित किए हैं, नए अधिनियमों के फलस्वरूप आज महिलाओं की स्थिति; पुरूष सदस्यों की अधीनता की नहीं है; अपितु परिवार में सम्मान पूर्ण स्थान मिलने लगा है, कर्ता/मुखिया की निरंकुषता में कमी आयी है; परिवार के सभी सदस्यों को समान सामाजिक, वैवाहिक और आर्थिक अधिकार देकर कर्ता (मुखिया) की स्वेच्छाचारिता को बहुत कम कर दिया है, हिन्दू परिवारों का स्वरूप संयुक्त से 'एकाकी' किया है जिससे महिलाओं के कार्यभारों में कमी होने के फलस्वरूप अतिरिक्त अर्थोपार्जन हेतु घर से बाहर निकलने लगी हैं, परिवार के धार्मिक स्वरूप में कमी होने से नए विधानों ने परिवार की प्रकृति को धर्म निरपेक्ष और विवेकपूर्ण बनाने में योगदान दिया है, नवीन सामाजिक विधानों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियॉ समाप्त कर महिलाओं को एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन प्रदान किया है।

विवाह सम्बन्धी विधानों में हुए परिवर्तनों से महिलाओं की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों/सुधारों के अन्तर्गतः एक विवाह का चलन तथा जीवन साथी चुनने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की है, विवाह तथा परिवार संस्था के स्वरूप को अधिक स्वस्थ बनाया है, नए सामाजिक अधिनियमों से मनोवृत्तियों में हुए परिवर्तनों ने विधवा पुनर्विवाहों को मान्यता दी है, विवाह की आयु निर्धारित कर बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाया है, प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह तथा विलम्ब विवाहों को प्रोत्साहित किया है, विवाह विच्छेद की सुविधा से पति द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार, षोषण, उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा से मुक्ति मिली है, विवाह करने के क्षेत्र का विस्तार हो जाने से अन्तर्विवाह व कुलीन विवाहों से मुक्ति मिली है, बेमेल विवाहों की समाप्ति से नारी जीवन स्वस्थ्य तथा विकासोन्मुखी हुआ है, वैवाहिक जीवन में स्थिरता व अधिक सन्तुलन आया है, आपसी मतभेद दूर करने के अवसर सुलभ हुए हैं, विवाह के नियमों में एकरूपता आने से पुरूष व महिलाओं में वैवाहिक समानता बढ़ी है, पहले हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार था; लेकिन अब समझौता तथा सुविधा के तत्व बढ़े हैं, हिन्दू विवाह पर रूढ़ियों का प्रभाव कम हुआ है एवं नारी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ी है।

इनमें 'राष्ट्रीय महिला आयोग' तथा 'स्वैच्छिक संगठनों' की भूमिकाओं ने महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिषा में प्रयत्नषील होकर अहम तथा प्रभावी भूमिका निर्वाह की हैं। यथाः महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, महिला संगठनों, नारी निकेतनों, जेलों का औचक निरीक्षण करना, खामियों को दूर करने के लिए षासन को समय–समय पर निर्देष व सुझाव देना, आदि। सर्वेक्षण काल में अधिकांषतः सूचनादात्रियों ने बताया कि महिला उत्थान की दिषा में राष्ट्रीय महिला आयोग तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के अन्तर्गतः नारी अधिकारों की जांच पड़ताल, महिलाओं को संरक्षा व सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं के अधिकारों/हक के लिए संघर्ष करना, महिलाओं की लिखित षिकायतों की क्षेत्र में जाकर जांच करना तथा दोषियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करके उन्हें न्याय दिलाना, षासन द्वारा महिला उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराना, नारी निकेतनों/संरक्षण गृहों का औचक पर्यवेक्षण, नारी कल्याणार्थ

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

नारी के षारीरिक, मानसिक उत्पीड़न, षोषण, अधिकार हनन के मामलों पर त्वरित तथा प्रभावी कार्यवाही करना, षिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य एवं रोजगार आदि क्षेत्रों में महिला उत्थान के प्रयासों का करना/न करना के सम्बन्ध में पहलें करना, घरेलू हिंसा के प्रकरणों में तत्परता से पहल करना, महिलाओं के प्रति किसी भी तरह के भेदभाव सम्बन्धी मामले, महिला उत्थानार्थ आगामी दृष्टि सम्बन्धी कार्य, आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार 'राष्ट्रीय महिला आयोग' महिलाओं को सामाजिक समाज के व्यवहारिक धरातल पर न्याय दिलाने में प्रभावी भूमिका निर्वाह करने में सक्षम है।

यदि गहन तथा सूक्ष्मता के साथ विचार करें तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से हमारे सामने दूसरा पहलू आता है कि सामाजिक विधानों के विभिन्न प्रावधानों के बाद भी समाज में बाल–विवाह का प्रचलन है। जिन समुदायों और जातियों में कुछ समय पहले तक दहेज प्रथा का बिलकुल प्रचलन नहीं था, उनमें भी आज दहेज प्रथा की समस्या बढ़ती जा रही है। अधिकांष स्त्रियों का जीवन आज भी पुरूषों के अधीन है। स्त्रियों को पिता की सम्पत्ति में व्यावहारिक रूप से कोई हिस्सा नहीं मिल पाता है। विधवा पुनर्विवाह को आज भी अधिक पसन्द नहीं किया जाता। अन्तर्जातीय विवाह माता–पिता की इच्छा के विरूद्ध बहुत कम व्यक्तियों द्वारा ही किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दलित जातियों पर अत्याचार होना आज भी एक सामान्य बात है। सामाजिक विधानों में जिस तरह के दण्ड का प्रावधान किया गया है, उससे बचने का प्रायः व्यक्ति कोई न कोई उपाय ढूँढ ही निकालते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक बुराईयों को दूर करने में सामाजिक विधान अपेक्षा से बहुत कम सफल हो सके हैं। समाज में घटती कुप्रथाओं व सामाजिक समस्याओं का कारण सामाजिक विधान नहीं, बल्कि समाज में षिक्षा और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि होना है।

कतिपय व्यवहारिक सुझाव :

संवैधानिक विधानों की अपेक्षित सफलता हेतु निम्न सुझाव सार्थक व उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं बषर्ते :–

(1) महिलाओं को षिक्षित करने के अधिकाधिक प्रयास किए जांय।

(2) महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्र तथा आत्म निर्भर बनाने के लिए रोजगारपरक षिक्षाएं व प्रषिक्षण निःषुल्क प्रदान किए जांय।

(3) विधानों की अवहेलना करने वाले दोषियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाहियॉ तत्काल प्रभाव से की जांय।

(4) जनसंचार साधनों, समाचार–पत्र, पत्रिकाओं, गोष्ठियों आदि के द्वारा सामाजिक विधानों के प्रति मन में विष्वास पैदा करना समय की मॉग है।

(5) महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उनमें जागरूकता पैदा की जाय क्योंकि विधानों का उद्देष्य समाज में एक नई जागरूकता एवं समानता लाना है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

संदर्भः

1-	Ahuja Ram	(2007) :	Crime Against Women, Rawat Publication, (Rajasthan) Jaipur.
2-	Altekar, A.S.	(2002) :	Position of Women in Hindu Civilization, Motilal Banarasi Das (Ed.), Delhi.
3-	Desai Neera &	(2007) :	Women and Society in India, Ajanta Krishnaraj Maithreji Publications, Delhi.
4-	Kapoor Pramila	(2010) :	The Changing Status of working women in India, Vikas Publishing House, Delhi.
5-	Mehta Vimla	(2006) :	Attitudes of Educated Women towards Social Issues, National Publishing House, Delhi.
6-	Saxena, R.	(1994) :	Women and Crime in India: A Study in Socio-cultural Dynamics, Inter-India Publications, New Delhi.
7.	आहूजा, राम	(2014) :	आपराधिक समस्याएं, रावत पब्लिकेषन्स, जयपुर (राजस्थान)
8.	जैन, मंजू	(2011) :	कार्यषील महिलाएं एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रिन्टवैल पब्लिषर्स, (राज0) जयपुर।
9.	देसाई, नीरा	(2012) :	भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन कम्पनी इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली।
10.	दुबे, सरला	(2012) :	सामाजिक व्याधिकी और विघटन, विवेक प्रकाषन, जवाहर नगर, दिल्ली।
11.	ब्होरा आषारानी	(2006) :	नारी षोषण– आइने और आयाम, नेषनल पब्लिकेषन्स हाउस, नई दिल्ली।
12.	त्रिवेदी, आर.एन. एवं	(2013) :	रिसर्च मैथॉडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेषन्स, (राज.)जयपुर